न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—73/2019/223 (2019/00073)

1. रसाल पत्नि किशनलाल, जाति जाट, निवासी मेवदाकंला, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।
2. रोडी पुत्री किशनलाल, जाति जाट, निवासी मेवदाकंला, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामकन्या पुत्री नानूलाल,
2. गोपाल पुत्र नानूलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— पार्वती पत्नि गोपाल,
   2/2— आशा पुत्री गोपाल,
   2/3— मंशा पुत्री गोपाल,
   2/4— भागचन्द पुत्री गोपाल,
   2/5— पूजा पुत्री गोपाल,
   2/6— फोरिया पुत्री गोपाल,
3. कमला पुत्री नानूलाल,
   जाति जाट, निवासी मेवदाकला, तह0 केकडी, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड, केकड़ी दिनांक 20.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 4096/2015.

उपस्थितः—

1. श्री शिप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हंगामीलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 31.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मेवदाकंला तहसल केकड़ी में स्थित आराजी खाता संख्या 410—403 के खसरा नंबर 132 रकबा 1.10 है0, खसरा नंबर 133 रकबा 1.11 है0, खसरा नंबर 666 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 667 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 672 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह, खसरा नंबर 673/3678 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 2132 रकबा 0.63 है0, खसरा नंबर 2141 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 2202 रकबा 0.60 है0, खसरा नंबर 2203 रकबा 0.52 है0,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खसरा नंबर 2250 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 2251 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 2498 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 2515 रकबा 1.70 है0, खसरा नंबर 2516 रकबा 1.07 है0, खसरा नंबर 2556 रकबा 01.17 है0, खसरा नंबर 2516 रकबा 1.17 है0, खाता संख्या 105 के खसरा नंबर 696 रकबा 0.78 है0, खसरा नंबर 2243 रकबा 0.44 है0, खाता संख्या 106 खसरा नंबर 2499 रकबा 0.41 है0, खाता संख्या 107 खसरा नंबर 2143 रकबा 1.15 है0, खाता संख्या 408 के खसरा नंबर 2554 रकबा 0.98 है0 खसरा नंबर 2558 रकबा 0.68 है0 के बाबत् वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त आरायिजात वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 7.10.2004 को नानालाल उर्फ नहलाल की सम्पति का विधिवत् बंटवारा कर लिया गया है जिसकी लिखापढ़ी नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर की गई । इसी प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के संशोधित प्रावधान लागू नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 3 नानूलाल की पुत्रियां है उनका वादग्रस्त सम्पति में कोई, हक, हिस्सा व अधिकार नहीं है । इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाकर इकरारनामा बाबत् दिनांक 7.10.2004 के आधार पर वादीगण को अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत् निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.2017 को पारित कर वादी का वाद खारिज किया । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके द्वारा लोक अदालत में निर्णय पारित किए जाने बाबत् नोटिस जारी किया जाता है परन्तु उक्त प्रकरण में अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को कोई नोटिस जारी नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधी0न्याया0 ने स्वंय ने अपने द्वारा पारित गैर कानूनी निर्णय दिनांक 20.5.2017 में माना है कि वादी एवं प्रतिवादी के संपूर्ण आवश्यक पक्षकार लोक अदालत कैम्प कोर्ट मेवदाकला में उपस्थित नही है इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने प्रकरण संख्या 187/2014 का निर्णय होने का हवाला देकर जो आदेश पारित किया है वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष विपक्षी/रेस्पो0 द्वारा कोई काउन्टर जवाबदावा या कोई विरोध नहीं किया गया था ऐसी सूरत में अपीलांटस का वाद डिक्री किये जाने योग्य था । वाद की कानूनन ट्रॉयल किया जाना न्यायिक दृष्टि से अनिवार्य है परन्तु अधी0न्याया0 ने बिना अपीलांट के वाद की ट्रॉयल किये जो निर्णय पारित किया है वह विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस/वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के मध्य हुए इकरारनामा बाबत् बंटवारा दिनांक 7.10.2004 के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का निवेदन किया था । चूंकि उपरोक्त बंटवारानामा पर स्वंय प्रतिवादी के हस्ताक्षर अंकित है इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने बिना कोई दस्तावेजों का अवलोकन किये जो निर्णय पारित किया है वह निरस्तनीय है। जाप्ता दीवानी के आदेश 12 नियम 6 के तहत यदि वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश कर खण्डन नहीं किया है तो वादीगण के वाद को हूबहू स्वीकार किया जाना अनिवार्य था परन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में बिना लोक अदालत के नोटिस दिये बिना कैम्प कोर्ट में के नियत कर बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जवाबदावा लिये, बिना तनकीयात कायम किये, बिना साक्ष्य लिये एकतरफा में गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं कर सरसरी तौर पर इसी आराजियात बाबत् अन्य वाद जो विपक्षीगण द्वारा पेश किये गये थे, निर्णित होना माकनर वादीगण के वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.2017 निरस्त की जाकर अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने बाबत् प्रकरण को अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 258, आर0आर0डी0 1984 पेज 111 के न्यायिक दृष्टांत एवं राजस्थान टिनेन्सी नियम 1955, एवं राज0 टिनेन्सी नियम 1955 के नियम 18 से 21 पेश किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया व स्वंय पीठासीन अधिकारी ने अपने द्वारा पारित निर्णय में माना है कि पक्षकार उपस्थित नहीं हुए है इसके बावजूद भी वाद को निर्णित करने में अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही हो सकी थी । दिनांक 21.2.2019 को प्रार्थीया अपने खातों की नकल निकलवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गई तब हल्का पटवारी ने बताया कि आपके प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव के बाबत् कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है तब प्रार्थिया ने अपने अधिवक्ता से जानकारी चाही तो अधिवक्ता ने रीडर से पता किया तब अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई । तत्पश्चात् दिनांक 21.2.219 को ही प्रमाणित नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 22.2.2019 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित भूमि खसरा नंबर 636 व 2243 के संबंध में वाद संख्या 188/2014 तथा शेष खसरा नंबरान बाबत् वाद संख्या 187/2014 में निर्णय हो चुका है । इसलिये वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संधारण योग्य नहीं है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वाद निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाकिव प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को प्रकरण के गुणावागुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद को अधी0न्याया0 ने लोक अदालत में दिनांक 20.5.2017 को निर्णित किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब में विचाराधीन थी किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश होने से पूर्व ही वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याय0 ने प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किये जाने पर प्रतिवादी का जवाब बंद नहीं कर प्रकरण को सीधे ही कैम्प कोर्ट में रखकर विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संपूर्ण आवश्यक पक्षकार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपस्थित नहीं हुए है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष संपूर्ण आवश्यक पक्षकारों की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट को अपने वाद को साबित करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को वादपत्र पेश होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद केवल मात्र विवादित भूमि के संबंध में वाद संख्या 187/2014 में निर्णय हो जाने के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत वाद खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.2017 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा वाद संख्या 4096/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णित करे । पत्रावली फैसूल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर